

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।

पत्रांक: बेसिक/उ०प्रा०वि० मान्यता/२५८६९ /2018-19 दिनांक.1.8./0.3.../2019

प्रबन्धक,

ए०पी०एस० इण्टरनेशनल स्कूल उझानी

वि०क्षे० उझानी (बदायूँ)

आपके आवेदन दिनांक 15.02.2019 द्वारा अपने विद्यालय ए०पी०एस० इण्टरनेशनल स्कूल, उझानी, बदायूँ जिसे इस कार्यालय के पत्रांक: शि०स०/1775-79/2013.14 दिनांक 31.05.2014 द्वारा प्री-प्राइमरी से कक्षा-08 तक की अंग्रेजी माध्यम से दिनांक 01.07.2013 से 30.06.2016 तक अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी थी, को स्थाई मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

शासनादेश सं०: 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के बिन्दु सं०-15 "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता 03 वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है, तो 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।" अतः आपके विद्यालय के विरुद्ध 03 वर्ष में किसी प्रतिकूल तथ्य के संज्ञानित न होने सम्बन्धी प्रस्तुत शपथ पत्र एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी, उझानी की आख्या के आधार पर शासन/विभाग द्वारा विद्यालयों को मान्यता के सम्बन्ध में लिये जाने वाले अग्रिम निर्णयों के अधीन शासनादेश दिनांक 08.05.2013 के बिन्दु सं०-15 के अन्तर्गत मान्यता मान्य रहेगी।

(रामपाल सिंह राजपूत)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

Old

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ (उत्तर-प्रदेश)

पत्रांक : शि०सा०/ 1775-79 /2013-14

दिनांक : 31-05-2014

सेवा में,

प्रबन्धक,

ए.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल उजानी
(बदायूँ)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 के नियम-15 के उपनियम (4) के अधीन अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 27.08.2013 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ, ए.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल उजानी (बदायूँ) को तारीख 01 जुलाई 2013 से तारीख 30 जून 2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधान करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक को उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को, उसके आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- 1 प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

Principal
APS International School
Ujhani (Budaun)


//Praveen/Manyta

MANAGER
APS INTERNATIONAL SCHOOL
BUDAUN (U.P.)

क्रमशः ... 2 पर

- 2- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
- 3- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- 4- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- 5- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- 6- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- 7- अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- 8- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया-कलापों में नियोजित नहीं करेगा।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	7730.00 वर्ग मी.
कुल निर्मित क्षेत्र	1116-50 वर्ग मी.
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	5010.00 वर्ग मी.
कक्षाओं की संख्या	17
प्राध्यापक-सह कार्यालय सह भण्डारगार के लिए कक्षा	04
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	15+15 = 30
पेयजल सुविधा	समस्याविल + क्लॉ. छो.
मि-डे मील पकाने के लिए रसोई	ए
वाधारहित पंहुच	ए
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।



Principal
APS International School
Ujhani (Budaun)
//Praveen/Manya


MANAGER
APS INTERNATIONAL SCHOOL
UJHANI, BUDAUN (U.P.)

क्रमशः3 पर

- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 05/2013-14 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कगियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
- 16- सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।


उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए गये हैं अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गये हैं उनमें गविष्य में कोई त्रुटि अथवा असात्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।

पूरां० : शि०सा० / /2013-14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित :-

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली गण्डल, बरेली।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूँ।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी।
4. समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बदायूँ।


Principal
APS International School
Ujhani (Budaun)


MANAGER
APS INTERNATIONAL SCHOOL
UJHANI, BUDAUN (U.P.)